[2013] 5 एस.सी.और. 428

भारत संघ और अन्य

बनाम

रफीक शेख भीकन और अन्य

अपील हेतु विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 28609/2011

अप्रैल 16, 2013

[आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई, जे.जे.]

हज नीति- भारतीय तीर्थयात्रियों की हज समिति हेतु नीति- निर्णित किया गयाः वार्षिक आधार पर हज नीति तैयार करने की प्रथा तदर्थ और असंतोषजनक है- पांच साल के लिए नीति ढांचे की आवश्यकता- प्रस्तावित हज नीति 2013- 2017 को आपत्तियों, टिप्पणियों और सुझाव आमंत्रित करते हुए विदेश मंत्रालय (एमईए) की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।- अंतिम नीति हज 2017 तक पाँच वर्षों के लिए वैध और क्रियाशील रहेगा और हर साल दोनों देशों के बीच किए गए समझौते के अनुसार सऊदी अरब साम्राज्य के साथ व्यवस्था में किसी भी बदलाव के मामले में इसे लागू किया जा सकता है।

हज नीति- महिला तीर्थयात्रियों- निर्धारित: महिला तीर्थयात्रियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हज नीति।

हज नीति- हज प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन- निर्धारित: भारतीय हज समिति द्वारा तय की गई हज प्रक्रिया के संबंध में समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए- हज समितियों द्वारा आवेदन जमा करने, जांच करने और सीटों के आवंटन की प्रक्रिया में कोई प्राधिकारी या अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, यदि हस्तक्षेप से समय-सारणी में गड़बड़ी होगी।

हज नीति- सऊदी अरब में आवास- लंबी अवधि के आधार पर सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के आवास की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति- समिति द्वारा हज 2013 शुरू होने से कई साल पहले कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए आवास पट्टे पर लेकर सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों की रुकने/ठहरने की व्यवस्था करने की उम्मीद है।

हज नीति- हवाई किराया- भारत सरकार सऊदी नीति के तहत पात्र किसी भी अन्य एयरलाइंस के अलावा तीन सऊदी एयरलाइंस और सभी भारतीय पंजीकृत एयरलाइंस से निविदाएं आमंत्रित करेगी।।

हज नीति- शिकायत निवारण- निर्धारित: वर्तमान में विदेश मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव खाड़ी और हज का प्रभारी है- लेकिन खाड़ी और हज दोनों में बड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं- भारत सरकार संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को हज की जिम्मेदारी देगी- हज सेल में एक स्थायी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए- उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को किसी हाजी समितियाँ या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह से हज से संबंधित शिकायतों से निपटने का प्रभारी बनाया जाना चाहिए- केंद्र सरकार ने भारतीय हज समिति, राज्य हज समितियों और केंद्र शासित प्रदेश हज समितियों के कामकाज की समीक्षा करने और उन समितियों के अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की दृष्टि से उनके द्वारा दिए गए सुझावों या शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की सलाह दी। ।

हज नीति- निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के लिए नीति- निर्धारित: श्रेणियों 1 और 2 में पीटीओ का वर्गीकरण निष्पक्ष और उचित है और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन बनाता है और नए प्रवेशकों के लिए एक अंशांकित आधार पर प्रावधान करता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधनों के बाद अनुमोदित नीति- अनुमोदित नीति को हज 2013-017 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति कहा जाएगा- यह पांच

साल के लिए वैध रहेगी और किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जावेगी।

तत्काल विशेष अनुमति याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसके द्वारा सरकार को हज 2011 के लिए सरकार की पीटीओ नीति के तहत रिट याचिकाकर्ताओं [निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) का एक समूह] के पक्ष में सरकारी कोटे से 800 सीटें जारी करने का निर्देश दिया गया था।

हालाँकि विशेष अनुमति याचिका बहुत ही सीमित मुद्दे पर थी, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को एक जनहित याचिका के रूप में विचार करने और भारत सरकार की हज नीति से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों की जांच करने का निर्णय लिया। पिछले दो वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी हज नीति से संबंधित कई मुद्दों पर आदेश पारित किए।

अपने पूर्व आदेशों/निर्देशों को दोहराते और पुष्टि करते हुए, भारत सरकार की हज नीति में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे i) भारतीय तीर्थयात्रियों की हज समिति के लिए नीति; ii) हज प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन; iii) सऊदी अरब में आवास; iv) हवाई किराया; v) शिकायत निवारण और vi) निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति का अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे गए।

विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भारतीय तीर्थयात्रियों की हज समिति के लिए नीति (निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से जाने वाले लोगों के अलावा भारतीय हज समिति के माध्यम से हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के संबंध में नीति): वार्षिक आधार पर हज नीति को तैयार करने की प्रथा काफी तदर्थ और असंतोषजनक है और इसे पांच साल की अवधि के लिए बनाई गई नीति, रूपरेखा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए तदनुसार, निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष बनाई जाने वाली हज नीति पांच साल की अवधि के लिए होगी और इसे हज नीति 2013- 2017 कहा जाएगा। प्रस्तावित हज नीति वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तारीख से एक महीने के भीतर आपत्तियों, टिप्पणियों व सुझाव को आमंत्रित करते हुए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। किसी भी आपत्ति, टिप्पणी या सुझाव को ध्यान में रखते हुए जो स्वीकार किए जाने योग्य हो सकते हैं नीति को एक महीने की अगली अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जावेगा। इस प्रकार तैयार की गई अंतिम नीति हज 2017 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध और क्रियाशील रहेगी और हर वर्ष दो देश के बीच हुए समझौते के अनुसार सऊदी अरब साम्राज्य के साथ व्यवस्था में किसी भी बदलाव की स्थिति में ही इसमें संशोधन किया जा सकेगा। पिछली नीति का पालन करने में आने

वाली किसी भी समस्या को ध्यान में रखते हुए और सफल नीति में सामग्री और गुणवत्ता जोड़ने और इसे पिछली नीति से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसी भी सुधार, नवाचार और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए अगली पांच साल की पॉलिसी इसी तरह तैयार की जावेगी। आगे निर्देशित किया गया है कि हज नीति में महिला तीर्थयात्रियों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य महिला तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा को यथासंभव सुचारू और परेशानी मुक्त बनाना होना चाहिए। [पैरा 8 और 9] [436-एच; 347-ए-एफ]

2. हज प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन: यह निर्देशित किया जाता है कि हज प्रक्रिया के संबंध में भारतीय हज समिति द्वारा तय की गई समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी प्राधिकरण या अदालत को हज समितियों द्वारा आवेदन जमा करने, जांच और सीटों का आवंटन करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यदि हस्तक्षेप से समय-सारणी में गड़बड़ी हो सकती है। यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि उचित मामलों में व्यक्तिगत हित को बड़े हित में और व्यापक हित में उपज देनी चाहिए। [पैरा 12, 13 ए [438-ई-जी]

मृदुल धर बनाम भारत संघ (2005) 2 एससीसी 65: 2005 (1) एससीऔर 380- पर भरोसा किया गया।

3. सऊदी अरब में आवास: एक समिति जिसमें i) संयुक्त सचिव, खाड़ी और हज, संयोजक; ii) जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत; iii) भारतीय हज समिति के अध्यक्ष; iv) श्री नजीब जंग, वाइस चांसलर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया; v) श्रीमती सैयदा हामिद, सदस्य, भारत के योजना आयोग और vi) श्री हारिस बीरन विदेश मंत्रालय के वकील है, का सऊदी अरब में दीर्घकालिक आधार पर तीर्थयात्रियों के आवास की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठन करने का निर्देश दिया गया है। समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा समिति के कार्यों में भाग लेने पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह हज 2013 शुरू होने से पहले कम से कम पांच साल की अवधि के लिए पट्टे पर आवास लेकर सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था करेगी। संयुक्त सचिव खाड़ी और हज को इसके प्रत्येक सदस्य के लिए सऊदी अरब में आवास की दीर्घकालिक व्यवस्था करने के लिए समिति का गठन के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। ताकि समिति बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर सके। [पैरा 15, 16, 17 और 36] [439-सी, डी-जी, एच; 440-ए-बी; 444-ई-एफ]

4. हवाई किराया: हज समिति द्वारा वसूला जाने वाला हवाई किराया निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से बहुत अधिक है। भारत सरकार को सऊदी नीति के तहत पात्रता रखने वाली अन्य पंजीकृत

एयरलाइंस के अलावा तीन सऊदी एयरलाइंस और सभी पंजीकृत भारतीय एयरलाइंस से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश दिया जाता है [पैरा 18-19] [440-सी, ई-एफ]

5. शिकायत निवारण: वर्तमान में विदेश मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव खाड़ी और हज का प्रभारी है। लेकिन खाड़ी और हज दोनों में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं और बेहतर होगा कि अकेले हज की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को सौंपी जाए। इसलिए भारत सरकार को सलाह दी जाती है कि हज की जिम्मेदारी अकेले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को दी जाए। किसी भी स्थिति में, हज सेल के पास एक स्थायी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए और उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को किसी भी हज समिति या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्राप्त हज से संबंधित सभी शिकायतों से निपटने के लिए प्रभारी बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में पीटीओ को भारतीय हज समिति के समक्ष अपने आवेदन जमा करने की आवश्यकता होती है, जहां विदेश मंत्रालय में पंजीकरण के लिए लिए गए आवेदनों की जांच की जाती है। हालाँकि, हज कमेटी को निजी टूर ऑपरेटरों या उनके व्यवसाय से कोई सरोकार नहीं है। विदेश मंत्रालय को पीटीओ से सीधे या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार को भारतीय हज समिति, राज्य हज समितियों और केंद्र शासित प्रदेश हज

समितियों के कामकाज की समीक्षा करने और उनके प्रदर्शन में सुधार की दृष्टि से उन समितियों द्वारा दिए गए सुझावों या शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने की भी सलाह दी जाती है। [पैरा 20, 21 और 22] [440- एफ-एच; 441-ए-सी, डी, एफ-जी]

6. निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के लिए नीति: अटॉर्नी जनरल ने निजी टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए नीति- हज 2013 प्रस्तुत की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति बहुत सावधानी और दिमाग के प्रयोग से तैयार की गई है। इसे सउदी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आलोक में तैयार किया गया है कि एक निजी टूर ऑपरेटर को कम से कम 150 टिकटों का कोटा आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नीति उन अधिकांश सुझावों को समायोजित करती है जो विभिन्न निजी टूर आपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा अटॉर्नी जनरल को पिछले महीनों में दिए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी एकाधिकार के सृजन से बचाता है और नए खिलाड़ियों के प्रवेश का प्रावधान करता है। श्रेणियों । और 2 में पीटीओ का वर्गीकरण निष्पक्ष और उचित है और यह तीर्थयात्रियों की जरूरतों के बीच एक उचित संतुलन बनाता है और साथ ही नए प्रवेशकों के लिए एक सुविचारित आधार पर प्रावधान करता है। इस न्यायालय द्वारा संशोधनों के बाद अनुमोदित नीति परिशिष्ट-। के रूप में संलग्न है और इस आदेश का

हिस्सा है। अनुमोदित नीति को हज 2013-2017 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति कहा जाएगा। यह पांच साल तक वैध रहेगा और किसी भी अदालत या प्राधिकारी के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। (पैरा 23, 24, 26 और 28] [441-जी-एच; 442-ए-बी, ई-एच; 443-ए]

7. भारत सरकार का निर्णय कि कोई व्यक्ति हज कमेटी के माध्यम से जीवन में केवल एक बार ही हज कर सकता है पर हमला करने की कोशिश की गई थी। हालाँकि, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार हज करने पर प्रतिबंध नहीं है और हज समिति के माध्यम से जाने वाला कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार हज कर सकता है या निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से और अपने स्वयं के साधनों से करने की सऊदी सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है। भारत सरकार का निर्णय न केवल कानूनी और संवैधानिक है, बल्कि उचित और न्यायसंगत भी है। [पैरा 29, 31ए [443-बी-सी, जी]

केस कानून संदर्भ:

2005 (1) एससीऔर 380 पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: एसएलपी (सिविल) संख्या 2011/28609

उच्च न्यायालय, बॉम्बे के रिट याचिका (एल) संख्या 1945 में निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2011 से।

साथ

2012 की टी.सी.(सी) संख्या 90, 91, 2012 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 330, 336

एवं टी.सी.(सी) संख्या 92, 94 एवं 93, 2012

गुलाम ई. वाहनवती, ए.जी., हुज़ेफ़ा अहमदी, इंदु मल्होत्रा, डॉ. राजीव धवन, और. वेंकटरमानी, कॉलिन गोंसाल्वेस, दुष्यंत दवे, इजाज मकबूल, मृगांक प्रभाकर, रोहन शर्मा, हारिस बीरन, मोहम्मद। निज़ामुद्दीन पाशा, आमेर मुस्ताक सलीम, बी.के. प्रसाद, तारिक सिद्दीकी, अनस तनवीर सिद्दीकी, लरशाद हनीफ, राजशेखर राव, चंद्र भूषण झा, आनंद हांडा, एच.एस. मोहम्मद रफी, कुश, निष्ठा शकील अहमद सैयद, मो. परवेज़ डबास, शुएब-उद्दीन, बी.वी. दीपक (टी.टी.के. दीपक एंड कंपनी के लिए) रमेश बाबू एम.और., के.के. मणि, अभिषेक कृष्णा, डेव, बॉबी ऑगस्टीन, प्रवीण सातले, राजीव शंकर द्विवेदी, सी. परमशिवम, पी. रमेश, राकेश के शर्मा, ऐनुल अंसारी, चंद्र भूषण प्रसाद, एम.जेड. चौधरी, निलोफर कुरेशी, खुशी मोहम्मद, रेहनुमा, मंजू जाना, और. नेदुमारन, विनय नवारे (आभा और. शर्मा के लिए), यानमी, ज्योति मेंदीरत्ता, खालिद अरशद, ता रन गुप्ता,

सुधांशु एस. चौधरी, अनिल कटियार, गौरव अग्रवाल, बी श्रीधर पोटाराजू, निखिल गोयल, इरशाद अहमद, पूजा शर्मा, डॉ. विपीन गुप्ता, विकाश सिंह, नीरज शेखर, सुदर्शन राजन, सी.एन. श्री कुमार, पी. जॉर्ज गिरी, प्रवीण अग्रवाल, अभिजीत सिन्हा, पी. नरसिम्हन, उषा नंदिनी वी., वी.एन. रघुपथ/, वी. रामसुब्रमण्यम, रंजन मुखर्जी, शिव सागर तिवारी, रेन्जिथ बी., के.ए. उपस्थित पक्षों के लिए कुरेशी, अनंगा भट्टाचार्य।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

आफताब आलम, जे.

1. यह विशेष अनुमति याचिका भारत संघ द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा सरकार को रिट याचिकाकर्ताओं (निजी टूर ऑपरेटर का एक समूह) के पक्ष में हज 2011 के लिए सरकार की पीटीओ नीति के तहत सरकारी कोटे से 800 सीटें जारी करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि विशेष अनुमति याचिका एक बहुत ही सीमित मुद्दे पर थी, इस न्यायालय ने 17 फरवरी 2012 के आदेश द्वारा मामले को एक जनहित याचिका के रूप में मानने और भारत सरकार की हज नीति के संबंध में कुछ प्रमुख मुद्दों की जांच करने का निर्णय लिया।

2. पिछले दो वर्षों में इस न्यायालय ने सरकारी हज नीति से संबंधित कई मुद्दों पर आदेश पारित किए हैं। 8 मई, 2012 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने हज सब्सिडी और सद्भावना हज प्रतिनिधिमंडल के मुद्दों को सुना और उस संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए। उन मुद्दों पर निर्देशों को दोहराया और पुष्टि की जाती है और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

3. इसी आदेश से कोर्ट ने हज 2012 के लिए सरकार की पीटीओ नीति को भी मंजूरी दे दी.

4. 23 जुलाई 2012 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने तीर्थयात्रियों के उस कोटा पर विचार किया, जिसे केंद्र सरकार ने अपने विवेक से आवंटन के लिए औरक्षित रखा था और उस संबंध में निर्देश दिए। उन निर्देशों को भी दोहराया जाता है, पुष्टि की जाती है और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

5. 27 जुलाई 2012 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को बताया कि हज 2012 के लिए पीटीओ नीति पिछले अनुभव के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं देती है और उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य की पीटीओ नीतियों में हर वर्ष नए पीटीओ के प्रवेश हेतु पर्याप्त जगह होनी चाहिए।।

6. अब हम भारत सरकार की हज नीति में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

7. श्री हुज़ेफ़ा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें 23 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, ने कड़ी मेहनत से भारतीय हज समिति और विभिन्न राज्यों की हज समितियों से विस्तृत जानकारी एकत्र की है। एकत्र की गई जानकारी की विवेकपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों को विचार के लिए प्रस्तुत किया जिन पर न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता है:

i) भारतीय हज समिति के तीर्थयात्रियों के लिए नीति।

ii) हज प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन।

iii) सऊदी अरब में आवास।

iv) हवाई किराया

v) शिकायत निवारण

vi) निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति।

हम सभी मुद्दों को सिलसिलेवार ढंग से उठाने का प्रस्ताव करते हैं।

(i) भारतीय तीर्थयात्रियों की हज समिति के लिए नीति।

8. यह भारतीय हज समिति के माध्यम से हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों के संबंध में नीति से संबंधित है (निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से जाने वाले तीर्थयात्रियों से भिन्न)। हम न्यायमित्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि वार्षिक आधार पर हज नीति तैयार करने की प्रथा काफी तदर्थ और असंतोषजनक है और इसे पांच साल की अवधि के लिए बनाई गई नीति रूपरेखा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि इस वर्ष बनाई जाने वाली हज नीति पांच साल की अवधि के लिए होगी और इसे हज नीति 2013- 2017 कहा जाएगा। प्रस्तावित हज नीति वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तारीख से एक महीने के भीतर आपत्तियों, टिप्पणियाँ और सुझाव को आमंत्रित करते हुए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। किसी भी आपत्ति, टिप्पणी या सुझाव को ध्यान में रखते हुए, जो स्वीकार करने योग्य हो सकता है, नीति को एक महीने की अगली अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई अंतिम नीति हज 2017 तक पांच साल की अवधि के लिए वैध और क्रियाशील रहेगी और हर साल दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार सऊदी अरब साम्राज्य के साथ व्यवस्था में किसी भी बदलाव की स्थिति में ही इसमें संशोधन किया जा सकेगा है। पिछली नीति का पालन करने में आने वाली किसी भी समस्या को ध्यान में रखते हुए और अगली नीति में सामग्री और गुणवत्ता जोड़ने के लिए किसी भी सुधार, नवाचार और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए,

पिछली नीति से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अगली पांच साल की नीति इसी तरह तैयार की जाएगी।

9. हम आगे निर्देश देते हैं कि हज नीति में महिला तीर्थयात्रियों की विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य महिला तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थयात्रा को यथासंभव सुचारू और परेशानी मुक्त बनाना होना चाहिए।

10. श्री ईएनएस अनम, जिन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान हमें संबोधित किया, के पास कुछ सकारात्मक और रचनात्मक विचार हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। श्री अटॉर्नी जनरल ने मदद करते हुए कहा कि वह श्री हारिस बीरन से श्री अनम और विदेश मंत्रालय में संबंधित अधिकारी के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहेंगे ताकि हज नीति 2013 के मसौदे की तैयारी में श्री अनम के सुझावों पर विचार किया जा सके- 2017.

(ii). हज प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन।

11. श्री अहमदी ने कहा कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से, जहां व्यावहारिक हो, अनुज्ञेय छूट अवधि के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदन करने, जांच आदि का कार्यक्रम हज नीति में निश्चित कट ऑफ तारीखों के साथ अग्रिम रूप से प्रकाशित किया जाना

चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर जनता को उन तिथियों के बारे में पहले से सूचित किया जा सके जिन्हें अनम्य माना जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढाई जानी चाहिए। श्री अहमदी ने आगे कहा कि हज प्रक्रिया को संतोषजनक और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए लाखों की संख्या में आने वाले आवेदनों से निपटने के लिए निश्चित समय-सारणी का पालन करना अनिवार्य है, जैसा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में होता है। उन्होंने हमारा ध्यान मृदुल धर बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया । उस निर्णय में इस न्यायालय ने स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक समय-सारिणी तय की (निर्णय के पैराग्राफ 31 के माध्यम से) और निर्णय के पैराग्राफ 35 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश देने के लिए समय-सारिणी का पूर्ण पालन करने का निर्देश दिया।

12. हम न्यायमित्र की दलील को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि हज प्रक्रिया के संबंध में भारतीय हज समिति द्वारा तय की गई समय-सारिणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी प्राधिकरण या अदालत को हज समितियों द्वारा आवेदन जमा करने, जांच व सीटों का आवंटन करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यदि हस्तक्षेप से समय-सारणी में गड़बड़ी हो सकती है।

13. यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि उचित मामलों में व्यक्तिगत हित को ज्यादा लोगों के अच्छे और बड़े हित में उपजना चाहिए।

(iii). सऊदी अरब में आवास

14. श्री अहमदी ने कहा कि सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के लिए वार्षिक आधार पर की जाने वाली आवास की व्यवस्था महंगी और असुविधाजनक दोनों है और आवास की व्यवस्था दीर्घकालिक आधार पर जो यदि दस या अधिक वर्षों के लिए नहीं हो तो कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए। श्री अहमदी ने आगे कहा कि यद्यपि उस संबंध में प्रस्ताव बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है। इसलिए, उन्होंने न्यायालय से सऊदी अरब में दीर्घकालिक आधार पर तीर्थयात्रियों के आवास की व्यवस्था करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध किया।

15. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि दीर्घकालिक आधार पर आवास सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। हालाँकि, अटॉर्नी जनरल द्वारा बताई गई समिति में केवल सरकारी अधिकारी शामिल हैं और जाहिर तौर पर यह अब तक कुछ भी करने में सक्षम नहीं रही है। हमारा मानना है कि कुछ गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक समिति इस संबंध में अधिक प्रभावी हो

सकती है। तदनुसार, हम निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करते हैं:

i) संयुक्त सचिव, खाड़ी और हज, संयोजक;

ii) जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत;

iii) भारतीय हज समिति के अध्यक्ष;

iv) श्री नजीब जंग, कुलपति, जामिया मिल्लिया इस्लामिया;

v) श्रीमती सैयदा हामिद, सदस्य, भारत के योजना आयोग;

vi) श्री हारिस बीरन, विदेश मंत्रालय के वकील;

16. हमें सूचित किया गया है कि भारतीय हज समिति के अध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है। हम निर्देश देते हैं कि समिति के बाकी सदस्य भारतीय हज समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार किए बिना अपना काम शुरू कर देंगे और जब भी किसी को उस कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा तो अध्यक्ष समिति में शामिल हो जाएंगे। समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा समिति के कार्य में भाग लेने पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

17. हम उम्मीद करते हैं कि समिति हज 2013 शुरू होने से पहले कम से कम पांच साल की अवधि के लिए पट्टे पर आवास लेकर सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था करेगी।

(iv). हवाई किराया

18. श्री अहमदी ने कहा कि स्वीकार्य रूप से हज समिति द्वारा लिया गया हवाई किराया निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से बहुत अधिक था। उन्होंने कहा कि वैश्विक निविदा निकालकर सर्वोत्तम किराया सुरक्षित किया जा सकता है। हालाँकि, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत सरकार और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौते के निर्बन्धनों और सऊदी सरकार की आधिकारिक नीति को देखते हुए, वैश्विक निविदा संभव नहीं हो सकती है। इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है और न्यायमित्र और विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद, हमें लगता है कि भारत सरकार तीन सऊदी एयरलाइंस और सऊदी नीति के तहत पात्रता रखने वाली किसी भी अन्य एयरलाइन के अलावा सभी भारतीय पंजीकृत एयरलाइंस से निविदाएं आमंत्रित करके इस संबंध में शुरुआत कर सकती है।

19. हम तदनुसार निर्देशित करते हैं।

(v). शिकायत निवारण।

20. हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव खाड़ी और हज के प्रभारी हैं। हम स्वीकार करते हैं कि संबंधित अधिकारी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन खाड़ी और हज दोनों में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं और बेहतर होगा कि अकेले हज की ज़िम्मेदारी एक ही अधिकारी को सौंपी जाए। इसलिए हम भारत सरकार को सलाह देते हैं कि हज की जिम्मेदारी अकेले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को दी जाए। किसी भी स्थिति में, हज सेल के पास एक स्थायी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए और उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को किसी भी हज समिति या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्राप्त हज से संबंधित सभी शिकायतों से निपटने के लिए प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

21. श्री अहमदी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में पीटीओ को अपने आवेदन भारतीय हज समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जहां विदेश मंत्रालय में पंजीकरण के लिए लिए गए आवेदनों की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि हज समिति को निजी टूर ऑपरेटरों या उनके व्यवसाय से कोई सरोकार नहीं है। हज समिति स्वयं लाखों आवेदनों के बोझ से दबी हुई है और उसे पीटीओ से आवेदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि न्यायमित्र द्वारा दी गई दलील उचित है। हम निवेदन स्वीकार करते हैं और विदेश मंत्रालय को

पीटीओ से सीधे या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश देते हैं।

22. श्री अहमदी ने कहा कि बेहद अपर्याप्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बावजूद केंद्रीय हज समिति और राज्य स्तर पर हज समितियां दोनों ही बेहद सराहनीय तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। हम न्याय मित्र द्वारा हज समितियों को दी गई सराहना का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अधिक गंभीरता और दक्षता के साथ काम करेंगे। हम केंद्र सरकार को भारतीय हज समिति, राज्य हज समितियों और केंद्र शासित प्रदेश हज समितियों के कामकाज की समीक्षा करने और कार्य में सुधार की दृष्टि से उन समितियों द्वारा दिए गए सुझावों या शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की भी सलाह देते हैं।

(vi). निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के लिए नीति

23. अटॉर्नी जनरल ने हमारे सामने निजी टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण की नीति- हज 2013 प्रस्तुत की।

24. ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति बहुत सावधानी से और दिमाग लगाकर बनाई गई है। इसे सऊदी सरकार द्वारा बनाई गई शर्त के आलोक में तैयार किया गया है कि एक निजी टूर ऑपरेटर को कम से कम

150 टिकटों का कोटा आवंटित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नीति उन अधिकांश सुझावों को समायोजित करती है जो पिछले महीनों में विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा अटॉर्नी जनरल को दिए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी भी एकाधिकार के सृजन से बचाता है और नए खिलाड़ियों के प्रवेश का प्रावधान करता है।

25. यहां यह कहा जा सकता है कि नीति में कुछ प्रावधान जो पीटीओ के लिए पात्रता मानदंड में ढील देते हैं, उनका संगम ट्रैवल्स (2013 का आईए नंबर 25 और 2013 का आईए नंबर 29) द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। आवेदक की ओर से कहा गया कि पीटीओ नीति, श्रेणी II के पैराग्राफ 3 में, किसी भी पांच वर्षों के लिए एक वर्ष में 50 उमरा तीर्थयात्रियों को पात्रता मानदंड में से एक के रूप में सुविधा प्रदान करना काफी अवैध है। हमने आवेदक की ओर से उपस्थित वकील श्री रफ़ी को सुना है और हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

26. हमारा विचार है कि श्रेणी I और 2 में पीटीओ का वर्गीकरण निष्पक्ष और उचित है और यह तीर्थयात्रियों की जरूरतों के बीच एक उचित संतुलन बनाता है और एक सुविचारित आधार पर नए प्रवेशकों के लिए प्रावधान करता है। यह पूरी तरह से हमारी सहमति से मेल खाता है। इस

प्रकार, हम प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और उपरोक्त तर्क खारिज कर दिए जाते हैं।

27. पीटीओ नीति के अन्य पहलुओं पर, हमने अटॉर्नी जनरल के अलावा, कई निजी टूर ऑपरेटरों की ओर से अदालत में प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और विशेष रूप से रफीक शेख भीकन (प्रतिवादी नंबर 1) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे को सुना है।

28. अटॉर्नी जनरल और विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद, हम कुछ मामूली संशोधनों के साथ अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत नीति को मंजूरी देते हैं। इस न्यायालय द्वारा संशोधनों के बाद अनुमोदित नीति परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है और इस आदेश का हिस्सा है। अनुमोदित नीति को हज 2013-2017 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति कहा जाएगा। यह पांच साल तक वैध रहेगा और किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

29. आदेश समाप्त करने से पहले, हम यह बता सकते हैं कि कुछ पक्ष व्यक्तिगत रूप से और कुछ वकीलों के माध्यम से पेश होकर भारत सरकार के उस फैसले को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जीवनकाल में केवल एक बार हज समिति के माध्यम से हज कर सकता है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रतिबंध हज करने पर

नहीं है और हज समिति के माध्यम से गया हुआ कोई भी व्यक्ति निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से या अपने साधनों से सऊदी सरकार की अनुमति से और जितनी बार चाहे उतनी बार हज कर सकता है। विदेश मंत्रालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बीरन ने प्रस्तुत किया कि निर्णय में ढील दी गई है और दो मामलों में अपवाद बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महिला तीर्थयात्रियों को मेहरम खोजने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने पहले हज नहीं किया था, "रिपीटर्स" को मेहरम के रूप में आने की अनुमति दी गई है, इस शर्त के अधीन कि वे हज यात्रा सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। भारत सरकार इसी प्रकार, 70 वर्ष से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों को अपने साथ जाने के लिए निर्दिष्ट रिश्तेदारों को ढूंढने में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने पहले हज नहीं किया था, उनके मामले में "रिपीटर्स" को भी इस शर्त के अधीन अनुमति दी गई थी कि वे भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हज यात्रा सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे।

30. हालाँकि, सरकार के निर्णय की कई आधारों पर आलोचना की गई, यहाँ तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 14 को भी लागू किया गया।

31. हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि भारत सरकार का निर्णय न केवल कानूनी और संवैधानिक है, बल्कि निष्पक्ष और उचित भी है। हमें सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले किसी भी आधार में कोई तथ्य नहीं मिला।

32. हमने भारत सरकार की हज नीति से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों पर विचार किया है। इस मामले को अब और लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, हम विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हैं और कार्यवाही बंद करते हैं।

33. हालाँकि, मामले के रिकॉर्ड रखने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि यह न्यायालय विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री गुलाम ई. वाहनवती का ऋणी है। यह उनकी सहायता और सहयोग से ही था कि यह न्यायालय पूर्ण संतुष्टि के साथ विचाराधीन मुद्दों से निपटाने में सक्षम था।

34. हम विद्वान न्याय मित्र श्री हुज़ेफ़ा अहमदी, विदेश मंत्रालय की ओर से उपस्थित वकील श्री हारिस बीरन और सेंट्रल हज समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री खालिद अरशद से प्राप्त सहायता के लिए अपनी सराहना भी दर्ज करना चाहेंगे। हम श्री दुष्यंत दवे, श्री फखरुद्दीन, श्री कॉलिन गोंसाल्वेस, श्री और. वेंकटरमणी और विभिन्न निजी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सभी वकीलों के भी आभारी हैं।

35. इस विशेष अनुमति याचिका के निपटान के साथ, स्थानांतरित मामलों और हस्तक्षेप आवेदनों और आईए सहित अन्य सभी जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है।

36. हम संयुक्त सचिव, खाड़ी और हज को निर्देश देते हैं कि वे अपने प्रत्येक सदस्य को सऊदी अरब में आवास की दीर्घकालिक व्यवस्था करने के लिए समिति के गठन के संबंध में जानकारी दें, ताकि समिति बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर सके।

मामला निस्तारित किया जाता है।

परिशिष्ट

विदेश मंत्रालय

(खाड़ी और हज प्रभाग)

<u>निजी टूर ऑपरेटरों का पंजीकरण- हज 2013</u>

1. सऊदी अरब सरकार ने अधिसूचित किया है कि भारत सरकार के साथ पंजीकृत और हज तीर्थयात्रा की तैयारी में शामिल निजी टूर ऑपरेटर (पीटीओ) सऊदी अधिकारियों द्वारा निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने पर हज समूह वीजा दिये जाने हेतु योग्य होंगे।

2. हज 2013 के लिए पंजीकरण के लिए पात्र पीटीओ से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड अनुलग्नक ए और बी में हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-सी) में सीधे विदेश मंत्रालय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किए जावेंगे।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब सरकार ने निर्धारित किया है कि प्रभावी हज 2013 के लिए एक पीटीओ को कम से कम 150 तीर्थयात्रियों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तदनुसार, पीटीओ नीति को फिर से तैयार किया गया है। हज 2013 के लिए हज सीटों के कोटे के पंजीकरण और आवंटन के लिए, इच्छुक पीटीओ निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं:

| | |
|---|---|
| श्रेणी I | पीटीओ विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हो और जो कम से कम 7 या अधिक हज कार्यों के लिए हाजी को सुविधा दे चुके हो। |
| श्रेणी II | पीटीओ को विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हो और जो कम से कम 1 से 6 हजयात्रा के लिए हाजी को सुविधा दे चुके हो और पीटीओ जिन्होंने किन्ही पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम 50 उमराह तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान की है। |

4. सीटों के कुल कोटे का 70% श्रेणी 3 (I) के तहत पात्र पीटीओ को और 30% श्रेणी 3 (II) के तहत पात्र पीटीओ को आवंटित किया जाएगा। योग्य पीटीओ के बीच सीटों का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

(ए) हज 2013 पीटीओ सीटों का 70% (31,500) श्रेणी 3(i) के तहत पात्र पीटीओ को 150 प्रति पीटीओ की दर से आवंटित किया जाएगा। यदि पीटीओ की संख्या 210 से अधिक है, तो सीटों का आवंटन ड्रा के आधार पर किया जाएगा। यदि योग्य पीटीओ की संख्या 210 से कम है, तो प्रत्येक पीटीओ को 150 सीटें आवंटित की जाएंगी और अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, उनके बीच समान रूप से वितरित की जाएंगी।

(बी) हज 2013 पीटीओ सीटों का 30% (9,000) श्रेणी 3(II) के तहत पात्र पीटीओ को प्रत्येक योग्य पीटीओ को 150 सीटों की दर से आवंटित किया जाएगा। यदि योग्य पीटीओ की संख्या 90 से अधिक है, तो सीटों का आवंटन ड्रा द्वारा किया जाएगा। यदि पीटीओ की संख्या 90 से कम है, तो प्रत्येक पीटीओ को 150 सीटें आवंटित की जाएंगी। शेष सीटें, यदि कोई हों, श्रेणी । में स्थानांतरित कर दी जाएंगी और उनके बीच समान रूप से वितरित की जाएंगी। एक योग्य पीटीओ जो किसी भी वर्ष ड्रा के तहत चयनित होने में विफल रहता है, उसे योग्य पीटीओ बने रहने पर कुर्राह के बिना आगामी वर्ष में 150 सीटें आवंटित की जाएंगी।

5. इस नीति के पांच साल- 2013-2017 तक वैध रहने की उम्मीद है जब तक कि कोई ऐसा सारभूत विकास न हो, जो इसे प्रभावित करता हो। प्रत्येक श्रेणी में योग्य पीटीओ को सीटों का आवंटन वार्षिक भारत-सऊदी अरब हज समझौते में निर्दिष्ट पीटीओ सीटों के समग्र कोटा और प्रत्येक श्रेणी में शेष योग्य पीटीओ की संख्या के आधार पर किया जाएगा। नीति में श्रेणी II से श्रेणी I तक पीटीओ के क्रॉस श्रेणी उर्ध्वगामी आंदोलन की परिकल्पना की गई है। एक योग्य पीटीओ तब तक योग्य रहेगा जब तक कि उसे भारत सरकार या सऊदी अरब सरकार द्वारा वैध कारणों से अयोग्य घोषित न कर दिया जाए। गौरतलब है कि जो पीटीओ कम से कम 150 हाजियों को ले जाना नहीं चाहते या ऐसा करने में असमर्थ हैं, उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

6. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जिसे विदेश मंत्रालय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को संबोधित किया जाना चाहिए।

<u>अनुलग्नक-ए</u>

हज-2013 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के पंजीकरण के लिए

नियम और शर्तें

प्रत्येक पीटीओ को यह साबित करना चाहिए कि वह एक वास्तविक और स्थापित टूर ऑपरेटर है जिसके पास पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को विदेश भेजने का अनुभव है, जिसके लिए उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

| क्रमांक | नियम एवं शर्तें |
|---|---|
| i | सभी दस्तावेज़ आवेदक पीटीओ के नाम पर होने चाहिए और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले की तारीख के दिए जाए। |
| ii | पीटीओ को प्रत्येक तीर्थयात्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जो तीर्थयात्री को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ और देय शुल्क दर्शाता हो। सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा बीमा, आवास का प्रकार, परिवहन सुविधा, सऊदी अरब में तीर्थयात्री के ठहरने की अवधि, आदि भी शामिल होना चाहिए। तीर्थयात्रियों के साथ हस्ताक्षरित मॉडल अनुबंध की एक प्रति भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए। |
| iii | सेवा कर के लिए पंजीकरण का विवरण। |
| iv | वर्ष 2010-11 या 2011-12 वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये बैलेंस शीट और लाभ के साथ हानि खाता-सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित, वित्तीय |

| | |
|---|---|
| | वर्ष 2010-11 और 2011-12 वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीऔर) |
| v | न्यूनतम कार्यालय क्षेत्र 250 वर्ग फुट। (कालीन क्षेत्र). (समर्थक दस्तावेज- राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना का ड्राइंग/लेआउट प्लान)। चार्टर्ड इंजीनियर्स/और्किटेक्ट्स द्वारा प्रमाणित लेआउट योजना भी स्वीकृत होगा। |
| vi | 31 मार्च, 2012 या 31 मार्च, 2013 को न्यूनतम पूंजी 15 लाख रु, जो नवीनतम बैलेंस शीट द्वारा विधिवत समर्थित हो तथा सांविधिक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा ऑडिट किया गया हो। |
| vii | टिकट खरीदने और मक्का/मदीना में आवास किराये पर लेने के लिए बैंकिंग या अन्य अधिकृत माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण। टिकटों की खरीद, मक्का/मदीना में तीर्थयात्रियों के लिए आवास आदि हेतु अन्य माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। |
| viii | पैन कार्ड विवरण (प्रोपराइटर के नाम पर पैन कार्ड स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि पीटीओ संबंधित प्रोपराइटर हो) |
| ix | प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के साथ या आपराधिक मामलों में शामिल |

| | |
|---|---|
| | पीटीओ पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। |
| x | उनके दावे के समर्थन में पीटीओ को वर्षवार और पीटीओ की श्रेणीवार जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां। |
| xi | तीर्थयात्रियों और "तसरीह" के लिए भवनों को किराये पर लेने का अनुबंध साथ में अंग्रेजी अनुवाद पीटीओ की श्रेणीवार। (कृपया किराये की रसीदें और सऊदी मालिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लीज डीड की एक प्रति संलग्न करें। |
| xii | मुनाज़िम कार्ड की प्रतिलिपि और प्रोपराइटर/मालिक का पासपोर्ट के प्रासंगिक हज वीज़ा के पेज। |
| xiii | एचसीओआई, मुंबई के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में 28 फरवरी 2014 तक मान्य 25 लाख (पच्चीस लाख रूपये मात्र) रुपये की सुरक्षा जमा राशि। |
| xiv | आवेदन के साथ गैर-वापसी योग्य शुल्क के रूप में रुपये 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय हज समिति के पक्ष में, जो मुंबई में देय है, जमा किया जाना है। |

<u>अनुलग्नक-बी</u>

हज-2013 के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश/दिशानिर्देश

| | |
|---|---|
| i | आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-सी) में होना चाहिए |

| | |
|---|---|
| | और सभी दस्तावेज़ों को क्रमानुसार क्रमांकित किया जाना चाहिए। एक सूचकांक एप्लिकेशन के शीर्ष पर होना चाहिए जो संलग्न दस्तावेज़ का विवरण दर्शाता है |
| ii | एेसे आवेदन जो गलत जानकारी देते हैं या किसी सुसंगत जानकारी को छिपाते हैं, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आवेदक पीटीओ को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसकी जमा की गयी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी, बशर्ते कि काली सूची में डालने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित पीटीओ को ऐसी ब्लैकलिस्टिंग के विरुद्ध कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाता है। |
| iii | पीटीओ को अपने तीर्थयात्रियों के बारे में पूरी जानकारी सीजीआई (भारत का महावाणिज्य दूतावास) जेद्दा को प्रस्तुत करनी होगी और सऊदी अरब के लिए तीर्थयात्रियों के प्रस्थान से पहले इसे सीजीआई की वेबसाइट- www.jeddham.com पर अपलोड करना होगा। |
| iv | पीटीओ सऊदी अरब सरकार की आवश्यकता के अनुसार टीकाकरण और अन्य चिकित्सा जांच सुनिश्चित करेगा जिसका विवरण HCOI की वेबसाइट www.hajcommittee.com पर |

| | |
|---|---|
| | उपलब्ध है। सभी तीर्थयात्री स्वास्थ्य कार्ड अवश्य ले जाएं। |
| v | पीटीओ को ठहरने, परिवहन और सऊदी अरब में अधिकारियों को अनिवार्य शुल्क का भुगतान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगे। पीटीओ तीर्थयात्रियों के साथ हस्ताक्षर किए गए अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का सम्मान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनमें से कोई भी वहां फंसे न रह जाए। |
| vi | पीटीओ द्वारा प्रत्येक तीर्थयात्री को मक्का/मदीना में जब भी वे इमारत से बाहर निकलते हैं गले में पहना जाने वाला अच्छी गुणवत्ता वाला पहचान पत्र उपलब्ध कराना चाहिए। जिसमें तीर्थयात्री और पीटीओ का नाम, पासपोर्ट नंबर और रहने का स्थान अंकित हो। |
| vii | पीटीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत/सऊदी अरब में हज टर्मिनल छोड़ने से पहले उनके सभी तीर्थयात्रियों का सामान चैक कर दिया जाए। |
| viii | यदि पीटीओ द्वारा भेजा गया कोई तीर्थयात्री सऊदी अरब में भीख मांगते हुए पाया जाता है या सऊदी अधिकारियों द्वारा फुकरा घोषित कर दिया जाता है तो, पीटीओ को स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। |

| | |
|---|---|
| ix | हज कोटा सीटों को किसी अन्य पीटीओ को बेचना सख्त मना है। किसी पीटीओ के विरुद्ध ऐसी गतिविधि में शामिल होने की कोई शिकायत प्राप्त होने पर पीटीओ को स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा। |
| x | कृपया ध्यान दें कि हज-2013 के लिए पंजीकरण के लिए परिवार का केवल एक ही सदस्य पात्र होगा। अत: परिवार के केवल एक सदस्य को पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। परिवार में पत्नी और आश्रित बच्चे शामिल होने की स्थिति में यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य पात्रता शर्तों को पूरा करते है और यदि उनमें से एक महिला है, तो अन्य को अपवर्जित करते हुए महिला को पंजीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और यदि कोई महिला नहीं है, तो वरीयता उस सदस्य को दी जाएगी जो हज-2013 में पंजीकरण हेतु सबसे उम्रदराज हो। कोई भी आवेदक निदेशक/साझेदार/प्रोपराइटर की हैसियत से एक से अधिक पीटीओ के रूप में आवेदन नहीं कर सकता। |
| xi | पीटीओ को केवल एक आवेदन जमा करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि एक पीटीओ ने विभिन्न नामों से एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसे सभी आवेदन खारिज |

| | |
|---|---|
| | कर दिए जाएंगे और ऐसे सभी पीटीओ को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। |
| xii | पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी दावे, विवाद और मतभेद नई दिल्ली/मुंबई के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। |
| xiii | अनुलग्नक ए और बी में निर्धारित सभी नियम और शर्तें उन पीटीओ पर भी लागू होगी जो किन्ही पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 50 उमरा तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के आधार पर श्रेणी- II के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुलग्नक-ए के खंड (vii), (x), (xi), xii के अंतर्गत शामिल नियम और शर्तों को छोड़कर। इसके अलावा, इन पीटीओ को अपने दावे के समर्थन में उमरा तीर्थयात्रियों के संबंध में मक्का और मदीना में टिकटों की खरीद और आवास किराये पर लेने की दशा में बैंकिंग या किसी अन्य अधिकृत चैनल के माध्यम से किया गया भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। |

<u>अनुलग्नक-सी</u>

हज 2013- निजी टूर ऑपरेटर (पीटीओ) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निजी टूर ऑपरेटर का नाम | |
| 2 | फर्म का पता/टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल और वेबसाइट का पता (यदि हज-2012 के बाद पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो यह भी दर्शाया जा सकता है) | |
| 3 | हज-2013 के दौरान सऊदी अरब साम्राज्य में मौजूद फर्म के प्रतिनिधियों का नाम संपर्क विवरण सहित। | |
| 4 | कर्मचारियों की संख्या (स्थायी और अंतराल के साथ अस्थायी तौर पर उपिस्थत), कंप्यूटर और अन्य कार्यालय उपकरणों की संख्या। | |
| 5 | कार्यालय का क्षेत्र (कृपया फोटोग्राफ के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 6 | क्या कार्यालय विशेष रूप से हज या उमरा के लिए नामित किया गया है या कोई अन्य व्यवसाय भी उसी परिसर में संचालित किया जाता है। | |
| 7 | (i)क्या पहले भी विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत है? | हां/नहीं |
| | (ii) यदि हां, तो अपने दावे के समर्थन में वर्षवार प्रमाण | |

| | | |
|---|---|---|
| | पत्रों की प्रति और "तसरीह" की प्रतियां संलग्न करें। | |
| 8 | (i) क्या आप हज पीटीओ के किसी संघ के सदस्य हैं? विवरण प्रदान करें। | हां/नहीं |
| | (ii) यह भी बताएं कि क्या आवेदन एसोसिएशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। | |
| 9 | पीटीओ को अपने दावे के समर्थन में तीर्थयात्रियों के लिए किराए पर लिए गए भवनों के अनुबंधों, प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद के साथ "तसरीह", IATA रसीदें, टिकटों का विवरण और बैंकिंग चैनल के माध्यम से टिकटों की खरीद के लिए किए गए भुगतान की प्रतियां संलग्न करनी चाहिए। इस उद्देश्य से नए आवेदकों को पिछले पांच वर्षों के दौरान सुविधा प्राप्त उमरा तीर्थयात्रियों की संख्या निम्न समर्थित दस्तावेजों के साथ जमा करने की आवश्यकता है- हवाई टिकट की खरीद, मक्का और मदीना में आवास किराये पर लेना तथा बैंकिंग के माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण। | |
| 10 | सावधि जमा रसीद (एफडीऔर) का विवरण- मूल संलग्न होना चाहिए। मामले में यदि आवेदन एसोसिएशनों में से किसी एक के माध्यम से आवेदन किया है तो | |

| | | |
|---|---|---|
| | एसोसिएशन को जमा की गई सावधि जमा रसीदों का विवरण इंगित करे। | |
| 11 | भारतीय हज समिति के पक्ष में 5000/- रुपए के बैंक ड्राफ्ट का विवरण जो गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क के रूप में मुंबई में देय हो। | |
| 12 | मकतब संख्या और सऊदी अरब में सेवा प्रदाता का नाम (पहले से पंजीकृत पीटीओ के मामले में)। | |
| 13 | सऊदी अरब साम्राज्य में तीर्थयात्रियों के आगमन की संभावित तारीख। | |
| 14 | सऊदी अरब साम्राज्य से तीर्थयात्रियों के प्रस्थान की संभावित तारीख। | |
| 15 | तीर्थयात्रियों के लिए किए जाने वाले परिवहन समझौते/व्यवस्था का प्रकार(कूपन दर और मार्ग) | |
| 16 | ओरिएंटेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की व्यवस्था। | |
| 17 | सऊदी अरब साम्राज्य में स्थानीय संवाददाता कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर। | |
| 18 | (ए) क्या पीटीओ की शाखाएं अन्य स्थानों पर हैं:<br><br>(बी) यदि हां, तो कृपया विवरण प्रदान करें: | |

| | | |
|---|---|---|
| | (सी) क्या इन शाखाओं ने भी अलग से पंजीकरण के लिए आवेदन किया है?<br><br>यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें। | |
| 21 | क्या पीटीओ के विरुद्ध पुलिस विभाग में कोई मामला/शिकायत दर्ज है कृपया पूर्ण विवरण प्रदान करें। यदि ऐसा कोई मामला/शिकायत दर्ज नहीं है, तो दावे के समर्थन में कृपया एक शपथ पत्र संलग्न करें। | |

(कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की मुहर और हस्ताक्षर)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संध्या पूनिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।